"सामान्य प्रश्नोत्तर"

"सामान्य प्रश्नोत्तर"

केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड

2021

पंजी० कार्यालय : चतुर्थ तल, प्राईम प्लाजा, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226016
कार्यालय :सी–91 जे० जे० क्लस्टर पीरागढ़ी कैंप, नई दिल्ली–110056

ई–मेल / **Email :** cbose.bharat@gmail.com

वेबसाइट / **Website** : www.cbose.com

सम्पर्क सूत्र / **Contact : +91-9557361231**

प्रस्तावना

केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के इन नियमों और विनियमों का निर्माण शिक्षा सुधार, पारदर्शिता और समावेशन की दिशा में संस्थागत यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण है। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** को एक राष्ट्रीय स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के शिक्षार्थियों औपचारिक, अनौपचारिक और आजीवन के लिए शिक्षा की पहुँच का विस्तार करना और परीक्षाओं को मानकीकृत करना है। आज जब विश्व ज्ञान और तकनीक से संचालित हो रहा है, और शिक्षा को विविध शिक्षार्थियों तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ढलना पड़ रहा है, तब यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए जो न केवल अकादमिक रूप से सशक्त हो, बल्कि प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी भी हो। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** की स्थापना इसी राष्ट्रीय आवश्यकता के प्रत्युत्तर के रूप में की गई है, यह पारंपरिक विद्यालय प्रणाली और मुक्त, कौशल–आधारित शिक्षा के बीच एक सेतु है, जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने हेतु प्रतिबद्ध है, बिना किसी शैक्षणिक ईमानदारी से समझौता किए।

यह प्रस्तावना मात्र एक नियामक दस्तावेज की भूमिका नहीं है, बल्कि एक दृष्टि का घोषणापत्र है। यह उस भारत की बात करती है जहाँ अवसर और क्षमता का संगम **"संरचित स्वतंत्रता"** के माध्यम से होता है– जहाँ एक ग्रामीण किसान का पुत्र और एक शहरी पेशेवर, दोनों समान मानक वाली शिक्षा और परीक्षा प्रणाली तक पहुँच सकते हैं। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** उस स्वप्न की दिशा में एक सशक्त कदम है। बोर्ड की स्थापना भारत के संविधान के आदर्शों और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** की भावना से प्रेरित है। यह शिक्षा को एक आजीवन, समावेशी प्रक्रिया के रूप में मान्यता देता है जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास दोनों को सक्षम बनाती है।

बोर्ड निष्पक्षता, समानता और नवाचार की नैतिक नींव पर कार्य करता है, ताकि इसके द्वारा जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र योग्यता और विश्वसनीयता का प्रतीक बन सके, जिसे शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हो। ये नियम और विनियम बोर्ड के कार्यों का संहिताबद्ध रूप हैं कृ जो इसकी संरचना, अधिकार, प्रक्रियाएँ, उत्तरदायित्व और जवाबदेही की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि बोर्ड से संबद्ध प्रत्येक अधिकारी और संस्था विधि और नैतिक आचरण की सीमाओं में कार्य करे।

नियमों में प्रवेश से लेकर प्रमाणन तक, नियुक्ति से उत्तरदायित्व तक, वित्तीय प्रबंधन से परीक्षा गोपनीयता तक, प्रत्येक चरण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इन नियमों के माध्यम से सिद्धांतों को प्रक्रियाओं में और मूल्यों को क्रियान्वयन में रूपांतरित किया गया है।

इस संहिता का मसौदा एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसमें देशभर के शिक्षाविदों, न्यायविदों, प्रशासकों, लेखा–परीक्षकों और संस्थान प्रमुखों के विचारों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक अध्याय को अकादमिक और प्रशासनिक शासन के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप सावधानीपूर्वक तैयार किया गया

है। इसकी भाषा और प्रारूप विधायी स्पष्टता की परंपरा के अनुरूप रखे गए हैं, ताकि यह दस्तावेज एक संचालन मार्गदर्शिका और एक कानूनी साधन दोनों के रूप में कार्य कर सके।

केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड राष्ट्र की उस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है जो एक समान, आधुनिक और जवाबदेह शिक्षा ढाँचे की स्थापना करना चाहती है। यह पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को एक ही छत्र के नीचे लाने का प्रयास है। **मुक्त विद्यालयी शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लचीली परीक्षा** व्यवस्थाओं के माध्यम से यह उन शिक्षार्थियों तक पहुँचने का प्रयास करता है जो मुख्यधारा की शिक्षा से अब तक वंचित रहे हैं।

यह प्रस्तावना बोर्ड की उस दृढ़ आस्था को भी दर्ज करती है कि शिक्षा में शासन की नींव तीन स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए—**ईमानदारी, नवाचार और समावेशन।** ईमानदारी यह सुनिश्चित करती है कि प्रमाणन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। नवाचार यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली समयानुकूल और गतिशील बनी रहे। समावेशन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शिक्षार्थी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक कारणों से पीछे न रह जाए। ये तीनों सिद्धांत केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का नैतिक मार्गदर्शन हैं।बोर्ड एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना करता है जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी, चाहे उसका पृष्ठभूमि कोई भी हो, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली के माध्यम से सस्ती और मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राप्त कर सके। यह विभिन्न बोर्डों, राज्यों और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच अकादमिक समकक्षता और गतिशीलता भी सुनिश्चित करता है, ताकि सीखने के मार्गों में कोई बाधा न रहे।

बोर्ड की शासन संरचना स्वायत्तता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। संचालन परिषद नीतिगत नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती है, जबकि शैक्षणिक, परीक्षा, वित्त और विधिक समितियाँ विशिष्ट विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। इन विनियमों में निहित शक्तियों का पृथक्करण और दायित्वों की स्पष्ट परिभाषा संस्था की अखंडता की रक्षा करती है।

वित्तीय और प्रशासनिक संहिता यह सुनिश्चित करती है कि बोर्ड के संसाधनों का उपयोग नैतिक और कुशलतापूर्वक किया जाए। लेखा–परीक्षा, अभिलेख संरक्षण, संपत्ति प्रबंधन और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित खंड यह सुनिश्चित करते हैं कि **बोर्ड** का संचालन हर समय पारदर्शी और उत्तरदायी रहे।

परीक्षाओं, मूल्यांकन, प्रवासन, सुधार और प्रमाणन से संबंधित विस्तृत नियम बोर्ड की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस संहिता के प्रकाशन में संचालन परिषद उन सभी समिति सदस्यों, विषय विशेषज्ञों और सचिवालय कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करती है, जिनके सामूहिक प्रयासों ने इस दृष्टि को एक कानूनी और प्रशासनिक वास्तविकता में परिवर्तित किया।

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य जानकारी	5-6
2.	प्रवेश एवं पंजीकरण	7-8
3.	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या	9-10
4.	परीक्षाएँ	11-12
5.	परिणाम एवं प्रमाणपत्र	13-14
6.	संबद्धता एवं मान्यता	15-18
7.	शुल्क एवं भुगतान	19-21
8.	ऑनलाइन सेवाएँ	22-25
9.	मान्यता एवं समकक्षता	26-29
10.	शिकायतें एवं निवारण	30-32
11.	विविध	33-36
12.	और अधिक जाने	37

<u>अध्याय-1</u>

सामान्य जानकारी

1. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड क्या है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त, राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को सुलभ, लचीली और सर्वसमावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह बोर्ड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने, प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा शैक्षणिक गुणवत्ता के समान मानक बनाए रखने के लिए गठित किया गया है। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सिद्धांतों पर आधारित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21–। में निहित शिक्षा के अधिकार की भावना को मूर्त रूप देता है।

2. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक विधिवत गठित स्वायत्त शैक्षणिक निकाय है, जो भारत संघ के प्रचलित विधानों के अंतर्गत अपने पंजीकृत उपविधानों एवं नियमों के अनुसार कार्य करता है। यह बोर्ड शिक्षा मंत्रालय की नीतिगत रूपरेखा और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के मानकों के अनुरूप कार्य करता है। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** द्वारा जारी प्रमाणपत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं तथा उच्च शिक्षा, रोजगार एवं कौशल–संबंधी उद्देश्यों के लिए वैध माने जाते हैं।

3. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना है, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँच सके। यह बोर्ड उन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा–सुविधा प्रदान करता है जो पारंपरिक विद्यालयी प्रणाली से वंचित रह गए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड का लक्ष्य व्यावसायिक एवं कौशल–आधारित शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ना, परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और शिक्षार्थियों के लिए आजीवन शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।

4. बोर्ड की विधिक एवं प्रशासनिक संरचना क्या है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक गैर–लाभकारी स्वशासी निकाय है, जिसकी संचालन व्यवस्था एक गवर्निंग बॉडी एक शैक्षणिक परिषद तथा अन्य स्थायी समितियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बोर्ड के प्रमुख पदाधिकारी–अध्यक्ष, सचिव और नियंत्रक–परीक्षा–अपने–अपने क्षेत्र

में नीति–निर्णय एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से परंतु बोर्ड के संविधान के अंतर्गत कार्य करता है।

5. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड और अन्य मुक्त बोर्ड में क्या अंतर है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** और **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग** दोनों का उद्देश्य लचीली एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना है, किंतु **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** एक स्वतंत्र स्वशासी संस्था है जो समान परीक्षा–मानकों के साथ कार्य करती है। ब्ठैॅ सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों को भी सम्मिलित करता है, जिससे शिक्षार्थियों को रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। बोर्ड डिजिटल मूल्यांकन, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और केंद्र–स्तरीय पर्यवेक्षण के माध्यम से निष्पक्षता बनाए रखता है।

6. बोर्ड परीक्षा की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** परीक्षा–प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए बहु–स्तरीय नियंत्रण प्रणाली अपनाता है। प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई, गोपनीयता, मूल्यांकन और परिणाम–घोषणा सभी चरण डिजिटल निगरानी में संपन्न किए जाते हैं। स्वतंत्र परीक्षक, मॉडरेटर और निरीक्षण दल नियुक्त किए जाते हैं जो प्रत्येक परीक्षा–केंद्र की निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड समय–समय पर मूल्यांकन–प्रक्रिया की आंतरिक और बाहरी ऑडिट कराता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

अध्याय-2

प्रवेश एवं पंजीकरण

1. कौन प्रवेश ले सकता है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, चाहे वह विद्यालय छोड़ चुका हो, कामकाजी हो, गृहिणी हो, या किसी कारणवश नियमित विद्यालय में अध्ययन न कर सका हो। यह बोर्ड उन सभी शिक्षार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है जो अपनी पढ़ाई दोबारा प्रारम्भ करना चाहते हैं या अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं।

2. प्रवेश की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। इच्छुक व्यक्ति को आवेदनदृपत्र भरना होता है, आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। सभी दस्तावेजों की जाँच के बाद बोर्ड द्वारा नामांकन स्वीकृत किया जाता है तथा विद्यार्थी का नाम पंजीकृत अभिलेखों में दर्ज कर लिया जाता है।

3. प्रवेश के लिए कौन–कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक हैं?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** में प्रवेश लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकदृपत्रिका, पासपोर्ट आकार के चित्र तथा पहचान प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। यदि किसी विशेष श्रेणी का लाभ लेना हो, तो उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। सभी प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित होने चाहिए।

4. क्या निजी या कामकाजी व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं?

उत्तर :– हाँ, **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** का प्रमुख उद्देश्य ही ऐसे लोगों को शिक्षा देना है जो नियमित विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते। यह बोर्ड स्वाध्याय एवं दूरस्थ अध्ययन की सुविधा देता है, जिससे कामकाजी, ग्रामीण या विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति भी घर या अध्ययन केन्द्र के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

5. प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

उत्तर :– माध्यमिक स्तर के लिए प्रवेश वर्ष की 31 मार्च तक विद्यार्थी की आयु चौदह वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा विद्यार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** विशेष परिस्थितियों में दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर आयु में आंशिक छूट दे सकता है।

6. विद्यार्थी अपने प्रवेश की स्थिति कैसे जान सकता है?

उत्तर :– विद्यार्थी द्वारा आवेदन जमा करने और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** विद्यार्थी का नामांकन स्वीकृत करता है। स्वीकृति के बाद विद्यार्थी को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है तथा उसकी सूचना अध्ययन केन्द्र या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से दी जाती है। विद्यार्थी अपने नामांकन की पुष्टि वहीं से प्राप्त कर सकता है।

7. प्रवेश की अंतिम तिथि कब होती है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** में प्रवेश वर्ष में दो सत्रों में होता है–एक सत्र अप्रैल माह से और दूसरा सत्र अक्टूबर माह से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक सत्र की अंतिम तिथि बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में दी जाती है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पूरा कर लें, ताकि विलम्ब शुल्क या अन्य असुविधा से बचा जा सके।

<u>अध्याय-3</u>

<u>पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री</u>

1. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड किन स्तरों की शिक्षा प्रदान करता है?

उत्तर :— **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** माध्यमिक (दसवीं के समकक्ष) तथा उच्च माध्यमिक (बारहवीं के समकक्ष) स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड सेतु पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक कौशल—आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। इन सभी स्तरों की संरचना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** और **राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा** के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे विद्यार्थियों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के समान शैक्षणिक दर्जा प्राप्त हो।

2. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन—कौन से विषय उपलब्ध हैं?

उत्तर :— माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषाओं, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और वैकल्पिक विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे उनमें मौलिक ज्ञान, गणनात्मक क्षमता तथा वैज्ञानिक दृ ष्टिकोण का विकास हो। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी कला, वाणिज्य और विज्ञान समूहों के साथ—साथ अनुप्रयुक्त एवं व्यावसायिक विषयों का चयन कर सकते हैं। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** समय—समय पर अपने विषय—विन्यास को अद्यतन करता है, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और रोजगारोन्मुखी विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिले।

3. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं?

उत्तर :— हाँ। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** का पूरा शैक्षणिक ढाँचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर आधारित है। इस नीति के अनुरूप बोर्ड ने बहु—विषयी अध्ययन, लचीले विषयदृचयन, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय, तथा आजीवन सीखने की व्यवस्था को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस प्रकार बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उसके विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों और वैश्विक स्तर पर भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें।

4. क्या विद्यार्थी व्यावसायिक या कौशल—आधारित विषय चुन सकते हैं?

उत्तर :— हाँ। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** विद्यार्थियों को सामान्य विषयों के साथ व्यावसायिक या कौशल—आधारित विषयों के चयन की सुविधा देता है। इन विषयों में स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, व्यवसाय प्रबंधन, विद्युत एवं यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह

दोहरी सुविधा विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र के साथ–साथ व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने का अवसर देती है। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

5. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सेतु अथवा समकक्ष कार्यक्रम भी चलाता है?

उत्तर :– हाँ। यह बोर्ड उन शिक्षार्थियों के लिए विशेष सेतु और समकक्ष कार्यक्रम चलाता है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी औपचारिक पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उपयुक्त स्तर पर पुनः शिक्षा में प्रवेश का अवसर दिया जाता है। इस व्यवस्था से विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी अपनी शिक्षा को नियमित रूप से जारी रख सकते हैं और मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

6. विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री मुद्रित रूप में तथा डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है। प्रवेश स्वीकृत होने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तकें, अध्ययन–सहायक पुस्तिकाएँ, अभ्यास पुस्तिकाएँ और ई–सामग्री प्रदान की जाती है। यह सामग्री योग्य शिक्षकों एवं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है और समय–समय पर अद्यतन की जाती है। अध्ययन सामग्री शिक्षार्थी–केंद्रित होती है तथा इसमें परिणाम–आधारित अध्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और समझ की क्षमता विकसित हो।

अध्याय-4

परीक्षा प्रणाली

1. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड परीक्षाएँ किस प्रकार आयोजित करता है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता के साथ पूरे देश और विदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्रों पर करता है। परीक्षाएँ वार्षिक प्रणाली तथा माँगदृआधारित प्रणाली दोनों के अंतर्गत ली जाती हैं। प्रत्येक प्रश्नपत्र योग्य विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे गोपनीयता की दृष्टि से दोहरी निगरानी में रखा जाता है। परीक्षा केन्द्रों की देखरेख के लिए केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक और उड़न दस्ते नियुक्त किए जाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है और पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, जिससे हर विद्यार्थी का मूल्यांकन निष्पक्षता के आधार पर हो सके।

2. परीक्षा का स्वरूप और अंक–वितरण कैसे होता है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में लिखित, प्रयोगात्मक तथा आंतरिक मूल्यांकन तीनों प्रकार के घटक सम्मिलित हैं। लिखित परीक्षा में विषय की अवधारणा और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा में विद्यार्थी के व्यावहारिक ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक विषय के लिए अंकदृवितरण और उत्तीर्ण मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और हर वर्ष शैक्षणिक परिषद द्वारा पुनरीक्षित किए जाते हैं।

3. माँग–आधारित परीक्षा क्या होती है और इसमें सम्मिलित होने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :– माँग–आधारित परीक्षा एक लचीली प्रणाली है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इस परीक्षा के लिए योग्य विद्यार्थी निर्धारित आवेदन–पत्र भरकर, परीक्षा शुल्क जमा करके और इच्छित तिथि एवं केन्द्र का चयन करके सम्मिलित हो सकता है। प्रश्नपत्र सुरक्षित प्रश्न–संग्रह से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया नियमित परीक्षा जैसी ही होती है। इस परीक्षा का परिणाम अल्प अवधि में घोषित किया जाता है जिससे विद्यार्थी शीघ्र प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके।

4. क्या विशेष या आपातकालीन परीक्षा की व्यवस्था है?

उत्तर :– हाँ। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, चिकित्सकीय आपात स्थिति अथवा प्रशासनिक अवरोध की स्थिति में विशेष या आपातकालीन परीक्षा आयोजित कर सकता है। ऐसी परीक्षा का आयोजन केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ सम्पन्न होती है। परीक्षा की तिथि, पात्रता और दिशा–निर्देश अलग अधिसूचना के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

5. पुनः उपस्थिति या अंक सुधार परीक्षा का प्रावधान क्या है?

उत्तर :–यदि कोई विद्यार्थी एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है अथवा अपने प्राप्त अंकों में सुधार करना चाहता है, तो वह अगले परीक्षा सत्र में पुनः उपस्थिति या अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित आवेदन–पत्र भरना और शुल्क जमा करना आवश्यक है। यदि सुधार परीक्षा में अंक अधिक आते हैं, तो वही अंक अंतिम माने जाते हैं। यह सुविधा केवल नामांकन की वैध अवधि के भीतर ही उपलब्ध होती है।

6. यदि विद्यार्थी का प्रवेशदृपत्र या अनुक्रमांक पत्र खो जाए तो क्या करना चाहिए?

उत्तर :–यदि किसी विद्यार्थी का प्रवेशदृपत्र या अनुक्रमांक पत्र खो जाता है, तो वह बोर्ड के परीक्षा विभाग में आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ पहचान प्रमाण, लिखित निवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है। सत्यापन के बाद बोर्ड द्वारा नया प्रवेश–पत्र जारी किया जाता है, जिस पर "मूल के स्थान पर जारी" का उल्लेख किया जाता है। विद्यार्थी अपने अध्ययन केन्द्र के माध्यम से भी इसकी प्रति प्राप्त कर सकता है।

7. प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :– प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा का आयोजन **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** के सीधे पर्यवेक्षण में किया जाता है। इन परीक्षाओं के लिए बाहरी परीक्षक, आंतरिक पर्यवेक्षक तथा केन्द्रदृनिरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। मूल्यांकन में प्रयोगशाला कार्य, परियोजना, व्यावहारिक प्रदर्शन और मौखिक प्रश्नदृउत्तर सम्मिलित होते हैं। प्राप्तांक परीक्षक और केन्द्र–अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित मानकीकृत प्रपत्रों में दर्ज किए जाते हैं और इन्हें सुरक्षित माध्यम से बोर्ड को भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो।

अध्याय-5

परिणाम और प्रमाणपत्र

1. विद्यार्थी अपना परिणाम कैसे देख सकता है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परिणाम बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से परिणाम देख सकता है। परिणाम में विषयवार अंक, कुल अंक और उत्तीर्ण स्थिति अंकित होती है। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा अस्थायी प्रमाणपत्र तथा अंक–पत्र डिजिटल रूप में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें बाद में मूल रूप में भी भेजा जाता है।

2. परिणाम घोषित होने में कितना समय लगता है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** आमतौर पर वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम परीक्षा मूल्यांकन पूर्ण होने के आठ से दस सप्ताह के भीतर घोषित करता है। माँग–आधारित परीक्षाओं के परिणाम चार से छह सप्ताह में घोषित किए जाते हैं। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने हेतु अंकपत्रों की जाँच और संकलन की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की है, जिससे परिणाम शीघ्र और सटीक रूप से घोषित किए जा सकें।

3. अंकदृपत्र, प्रव्रजन प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :– परीक्षा में सफल होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** की ओर से अंकदृपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र और प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाणपत्र या तो अध्ययन केन्द्र के माध्यम से या सीधे बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी इन दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित कर लें क्योंकि बाद में किसी प्रकार की संशोधन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही की जाती है।

4. यदि मूल प्रमाणपत्र खो जाए तो क्या करना चाहिए?

उत्तर :–यदि किसी विद्यार्थी का मूल प्रमाणपत्र, अंक–पत्र या प्रव्रजन प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो वह केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड से उसका प्रतिलिपि प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विद्यार्थी को आवेदन पत्र के साथ **पुलिस रिपोर्ट की प्रति, प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समक्ष शपथ–पत्र और पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।** सत्यापन के बाद बोर्ड द्वारा नया प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिस पर **"मूल के स्थान पर जारी"** अंकित किया जाता है।

5. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा और सरकारी सेवाओं के लिए मान्य हैं?

उत्तर :– हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र पूरे देश में उच्च शिक्षा, रोजगार और कौशल–संबंधी कार्यों के लिए मान्य हैं। यह बोर्ड अन्य राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों के समान शैक्षणिक और परीक्षा मानकों का पालन करता है। इस प्रकार इसके प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों तथा निजी संस्थानों में समान दर्जा प्राप्त है। प्रमाणपत्र की सत्यता का परीक्षण बोर्ड की प्रमाणदृसत्यापन प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है।

6. विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्र की सत्यता कैसे जाँच सकता है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र पर एक विशिष्ट क्रमांक अंकित होता है, जिसके माध्यम से उसकी सत्यता बोर्ड की प्रमाण–सत्यापन प्रणाली पर जाँची जा सकती है। कोई भी संस्था, कार्यालय या व्यक्ति उक्त क्रमांक दर्ज कर प्रमाणपत्र की वास्तविकता की पुष्टि कर सकता है। यह व्यवस्था जालसाजी या नकली प्रमाणपत्रों से बचाव हेतु लागू की गई है। संदेह की स्थिति में मामला बोर्ड के नियंत्रक (परीक्षा) को भेजा जा सकता है, जो अभिलेखों की जाँच कर लिखित रूप में पुष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-6

संबद्धता एवं मान्यता

1. संबद्धता का क्या अर्थ है?

उत्तर :– संबद्धता का अर्थ है वह औपचारिक स्वीकृति जो **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** किसी संस्था, विद्यालय या महाविद्यालय को प्रदान करता है, जिससे वह बोर्ड के पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षण, परीक्षा एवं शैक्षणिक कार्य संचालित कर सके। संबद्धता प्राप्त संस्था बोर्ड की दिशादृ निर्देशों के अधीन अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करती है।

2. संबद्धता प्रणाली का उद्देश्य क्या है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** की संबद्धता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षण संस्थान समान शैक्षणिक मानक, पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ, योग्य शिक्षणदृकर्मचारी और नैतिक अनुशासन बनाए रखें। संबद्धता से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी मिलती है और संस्थान पर पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है।

3. संबद्धता के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

उत्तर :– कोई भी शैक्षणिक संस्था, जो पंजीकृत समिति, न्यास या विधिक निकाय द्वारा स्थापित की गई हो तथा जिसके पास आवश्यक भूमि, भवन, शिक्षक एवं संसाधन हों, वह **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** से संबद्धता प्राप्त कर सकती है। निजी, स्वैच्छिक या समाजसेवी संस्थाएँ भी नियमानुसार पात्रता पूरी करने पर संबद्धता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

4. बोर्ड कितने प्रकार की संबद्धता प्रदान करता है?

उत्तर :– **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** तीन प्रकार की संबद्धता प्रदान करता है दृ प्रारंभिक (अस्थायी) संबद्धता, स्थायी संबद्धता और नवीनीकरण संबद्धता। प्रारंभिक संबद्धता नए संस्थानों को दी जाती है, स्थायी संबद्धता उन संस्थानों को दी जाती है जो निरंतर मानकों का पालन कर रहे हैं, और नवीनीकरण संबद्धता उनकी अवधि पूर्ण होने पर दी जाती है।

5. संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :– संस्था को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है, जिसमें भूमि, भवन, शिक्षकों तथा संसाधनों का विवरण देना अनिवार्य है। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** निरीक्षण दल गठित करता है जो संस्था की जाँच करता है। रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर संबद्धता आदेश जारी किया जाता है।

6. संबद्धता के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ क्या हैं?

उत्तर :— संस्था के पास पर्याप्त भूमि, सुरक्षित भवन, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को अपने विषयों के अनुरूप प्रयोगशालाएँ, उपकरण और सामग्री रखनी होती है।

7. शिक्षकों की योग्यता क्या होनी चाहिए?

उत्तर :— **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विषय के शिक्षक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो। शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया से होनी चाहिए और उनके अभिलेख संस्थान में सुरक्षित रखे जाने चाहिए।

8. संबद्धता की वैधता अवधि कितनी होती है?

उत्तर :— प्रारंभिक संबद्धता सामान्यतः तीन वर्ष के लिए दी जाती है। स्थायी संबद्धता तब तक वैध रहती है जब तक संस्था नियमों का पालन करती है। संबद्धता समाप्त होने से छह माह पूर्व संस्था को नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक होता है।

9. संबद्धता नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :— संस्था को निर्धारित समय में नवीनीकरण आवेदन देना होता है जिसमें अद्यतन विवरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और शिक्षकों की सूची संलग्न करनी होती है। बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर पुनः निरीक्षण कर सकता है। यदि सब कुछ संतोषजनक पाया गया तो नवीनीकरण स्वीकृत किया जाता है।

10. निरीक्षण प्रक्रिया किस प्रकार होती है?

उत्तर :— बोर्ड द्वारा गठित निरीक्षण समिति संस्था का स्थल निरीक्षण करती है। समिति भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षा संचालन, शिक्षकों की उपस्थिति तथा प्रशासनिक व्यवस्था की जाँच करती है। अपनी रिपोर्ट तैयार कर समिति बोर्ड को भेजती है, जिसके आधार पर संबद्धता का निर्णय लिया जाता है।

11. संबद्ध संस्थाओं के वित्तीय दायित्व क्या हैं?

उत्तर :— हर संबद्ध संस्था को संबद्धता शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क समय पर जमा करना होता है। किसी भी प्रकार का शुल्क केवल बोर्ड के अधिकृत माध्यम से जमा किया जा सकता है। शुल्क न चुकाने पर संस्था की संबद्धता स्थगित की जा सकती है।

12. संबद्ध संस्थाओं की शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

उत्तर :— संस्था को प्रवेश, शिक्षण, आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह बोर्ड के दिशा—निर्देशों के अनुसार चलानी होती है। विद्यार्थियों की उपस्थिति, अंक और प्रगति रिपोर्ट का सही अभिलेख रखना अनिवार्य है।

13. संबद्धता और मान्यता समिति की भूमिका क्या है?

उत्तर :—यह समिति सभी नए और नवीनीकरण आवेदनों की समीक्षा करती है, निरीक्षण रिपोर्टों का मूल्यांकन करती है और संबद्धता से जुड़ी नीतियों पर सलाह देती है। समिति की अनुशंसा पर ही अंतिम निर्णय शासी निकाय द्वारा लिया जाता है।

14. यदि कोई संस्था नियमों का उल्लंघन करती है तो क्या होता है?

उत्तर :—यदि कोई संस्था झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करती है, अनियमितता करती है या बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो बोर्ड उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसमें जुर्माना, संबद्धता निलंबन या समाप्ति, और परीक्षा परिणाम निरस्त करना शामिल है।

15. क्या संस्था संबद्धता समाप्त होने पर अपील कर सकती है?

उत्तर :— हाँ। संस्था संबद्धता समाप्त या निलंबित होने के तीस दिनों के भीतर बोर्ड की अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकती है। अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

16. क्या बोर्ड संबद्ध संस्थाओं को श्रेणीकरण या मूल्यांकन अंक देता है?

उत्तर :— हाँ। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** संस्थाओं का समय–समय पर मूल्यांकन कर उन्हें श्रेणी प्रदान करता है। यह श्रेणी शिक्षण, प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं और परिणामों के आधार पर तय की जाती है।

17. क्या संस्था अपना नाम या स्थान बदल सकती है?

संस्था नाम या स्थान परिवर्तन केवल बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से कर सकती है। इसके लिए नवीन भवन प्रमाणपत्र, स्वामित्व दस्तावेज और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। बिना अनुमति परिवर्तन करना नियमदृभंग माना जाएगा।

18. क्या संबद्ध संस्थाएँ फ्रेंचाइज या उपकेंद्र चला सकती हैं?

उत्तर :— नहीं। कोई भी संबद्ध संस्था बोर्ड की लिखित अनुमति के बिना उपकेंद्र, शाखा या फ्रेंचाइज नहीं चला सकती। ऐसा करने पर संस्था की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है और विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

19. बोर्ड संबद्धता प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सभी संबद्ध संस्थाओं की सूची अपने अधिकृत पोर्टल पर प्रकाशित करता है। आवेदन, निरीक्षण रिपोर्ट और आदेश डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

20. संबद्धता प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर :– संबद्ध संस्था को केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता मिलती है। संस्था को पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। यह संबद्धता संस्था की विश्वसनीयता बढ़ाती है और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का अवसर प्रदान करती है।

<u>अध्याय-7</u>

<u>शुल्क और भुगतान व्यवस्था</u>

1. शुल्क संरचना क्या है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक पारदर्शी और समान शुल्क संरचना लागू करता है, जिसमें प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क, प्रव्रजन शुल्क तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित शुल्क सम्मिलित होते हैं। सभी शुल्कों की राशि बोर्ड की शासी निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है और सार्वजनिक सूचना के रूप में जारी की जाती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि शुल्क यथोचित, न्यायसंगत और वास्तविक व्यय के अनुरूप हों।

2. शुल्क किस प्रकार जमा किया जा सकता है?

उत्तर :– सभी प्रकार के शुल्क केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के अधिकृत माध्यमों से ही जमा किए जा सकते हैं। विद्यार्थी या संस्था निर्धारित पंजीकृत माध्यम से बैंक खाते में धनराशि जमा कर सकती है या बोर्ड द्वारा स्वीकृत डिजिटल प्रणाली का प्रयोग कर सकती है। नकद भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाता। प्रत्येक भुगतान की रसीद प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखनी आवश्यक है।

3. क्या ग्रामीण अथवा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष भुगतान व्यवस्था है?

उत्तर :– हाँ, जिन क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा सीमित है, वहाँ के संस्थानों और विद्यार्थियों को बैंक चलान के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। बैंक से प्राप्त रसीद या संदर्भ संख्या को बोर्ड के अभिलेख में अपलोड करना अनिवार्य है। धीरेदृधीरे सभी क्षेत्रों में पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

4. यदि शुल्क देर से जमा किया जाए तो क्या अतिरिक्त शुल्क देना होगा?

उत्तर :– हाँ, यदि कोई विद्यार्थी या संस्था निर्धारित तिथि के बाद शुल्क जमा करती है, तो उस पर विलम्ब शुल्क लगाया जाता है। विलम्ब शुल्क की दर प्रत्येक श्रेणी के लिए अलगदृअलग होती है और यह दर बोर्ड की अधिसूचना में पूर्व प्रकाशित की जाती है। अत्यधिक विलम्ब या बारदृबार देरी करने पर नामांकन या संबद्धता स्थगित की जा सकती है।

5. क्या शुल्क वापस किया जा सकता है?

उत्तर :– सामान्य परिस्थितियों में केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाता क्योंकि बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो जाती है। किन्तु विशेष परिस्थितियों जैसे विद्यार्थी की मृत्यु या बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम निरस्त किए जाने पर आंशिक धनवापसी शासी निकाय की अनुमति से की जा सकती है।

6. क्या आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोई रियायत है?

उत्तर :— केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विशेष रियायत की व्यवस्था रखता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, अनाथ अथवा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शुल्क में आंशिक छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वे आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त बोर्ड सरकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु भी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है।

7. परीक्षा शुल्क कब जमा करना आवश्यक होता है?

उत्तर :— प्रत्येक परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क परीक्षा प्रपत्र भरने के समय जमा करना अनिवार्य है। यह शुल्क विषयों की संख्या और परीक्षा के स्वरूप पर निर्भर करता है। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि प्रत्येक सत्र की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से प्रकाशित की जाती है। बिना परीक्षा शुल्क के कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता।

8. यदि विद्यार्थी अपने उत्तरदृपत्र की पुनः जाँच करवाना चाहे तो क्या शुल्क देना होगा?

उत्तर :— हाँ। उत्तरदृपत्र की पुनः जाँच या पुनर्मूल्यांकन करवाने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रतिदृविषय शुल्क जमा करना होता है। आवेदन परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा पुनः जाँच के बाद दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

9. यदि मूल प्रमाणपत्र या अंकपत्र खो जाए तो क्या शुल्क देना होगा?

उत्तर :— हाँ। यदि विद्यार्थी को मूल प्रमाणपत्र या अंकपत्र की प्रतिलिपि चाहिए, तो उसे निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। इसके साथ पहचान प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट और शपथदृपत्र भी देना होता है। सत्यापन के पश्चात बोर्ड नया प्रमाणपत्र जारी करता है।

10. संबद्ध संस्थाओं के लिए संबद्धता और नवीनीकरण शुल्क क्या होता है?

उत्तर :— हर संबद्ध संस्था को संबद्धता प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण के समय निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यह शुल्क संस्था की श्रेणी और पाठ्यक्रमों के प्रकार के अनुसार भिन्नदृभिन्न होता है। यह राशि निरीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए ली जाती है। समय पर शुल्क जमा न करने पर संबद्धता स्वतः स्थगित हो सकती है।

11. निरीक्षण एवं मान्यता जाँच का शुल्क कौन देता है?

उत्तर :— केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित निरीक्षण दल के व्यय का वहन संबंधित संस्था करती है। इसमें यात्रा, भत्ता और निरीक्षण संबंधी अन्य खर्च शामिल होते हैं। निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराना आवश्यक होता है, अन्यथा निरीक्षण की तिथि निर्धारित नहीं की जाती।

12. शुल्क जमा करने पर प्राप्त प्रमाण या रसीद कैसे मिलती है?

उत्तर :– शुल्क जमा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी या संस्था को डिजिटल रसीद प्राप्त होती है, जिसमें जमा तिथि, राशि और भुगतान उद्देश्य अंकित होता है। यही रसीद भुगतान का आधिकारिक प्रमाण होती है। संस्थागत भुगतान की स्थिति में समेकित विवरण प्रत्येक तिमाही में संस्था को उपलब्ध कराया जाता है।

13. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड वित्तीय पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर :– सभी भुगतान और लेनदृदेन बोर्ड की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। हर वर्ष स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और उसकी रिपोर्ट शासी निकाय के समक्ष रखी जाती है। अनुमोदन के पश्चात यह अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहते हैं।

14. यदि कोई संस्था विद्यार्थियों से अनुचित शुल्क वसूल करे तो क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर :–यदि किसी संबद्ध संस्था द्वारा विद्यार्थियों से बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक या अनुचित शुल्क वसूला जाता है, तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। बोर्ड उस संस्था के विरुद्ध धनवापसी, जुर्माना या संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई कर सकता है। प्रत्येक संस्था को अपने परिसर में अनुमोदित शुल्कदृसूची प्रदर्शित करनी होती है।

15. यदि शुल्क से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा कैसे होगा?

उत्तर :– शुल्क से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विद्यार्थी या संस्था सबसे पहले बोर्ड के वित्त विभाग में आवेदन कर सकती है। यदि समस्या का समाधान वहाँ न हो, तो प्रकरण शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा।

अध्याय-8

ऑनलाइन सेवाएँ

1. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड विद्यार्थियों और संस्थाओं को कौनदृकौन सी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है?

उत्तर :— केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड विद्यार्थियों और संबद्ध संस्थाओं को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अनेक सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें प्रवेश आवेदन, परीक्षा प्रपत्र जमा करना, शुल्क भुगतान, अध्ययन सामग्री प्राप्त करना, परिणाम देखना, प्रमाणपत्र डाउनलोड करना और शिकायत निवारण शामिल हैं। इस डिजिटल व्यवस्था से सभी कार्य पारदर्शी, शीघ्र और विश्वसनीय रूप से सम्पन्न होते हैं।

2. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट क्या कार्य करती है?

उत्तर :— बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का मुख्य माध्यम है। इसी वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं, आवेदन जमा करते हैं, प्रमाणपत्र डाउनलोड करते हैं और सभी अधिसूचनाएँ पढ़ सकते हैं। वेबसाइट चौबीसों घंटे चालू रहती है और किसी भी स्थान से उपयोग की जा सकती है।

3. नया विद्यार्थी अपने लिए ऑनलाइन खाता कैसे बना सकता है?

उत्तर :— जब विद्यार्थी प्रवेश आवेदन भर देता है, तो बोर्ड द्वारा उसे एक पंजीकृत क्रमांक दिया जाता है। उसी क्रमांक के माध्यम से विद्यार्थी अपना खाता सक्रिय करता है। प्रथम बार प्रवेश करने पर विद्यार्थी को अपना गुप्त शब्द निर्धारित करना होता है और अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होती है। यही खाता आगे की सभी सेवाओं के लिए उपयोग में आता है।

4. विद्यार्थी को अपने निजी पटल (डैशबोर्ड) पर कौनदृकौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?

उत्तर :— विद्यार्थी के निजी पटल पर उसकी व्यक्तिगत जानकारी, नामांकन स्थिति, अध्ययन सामग्री, शुल्क रसीद, परीक्षा की तिथि, परिणाम और प्रमाणपत्र उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी शिकायत दर्ज कर सकता है, प्रमाणपत्र की जाँच कर सकता है तथा बोर्ड की नई अधिसूचनाएँ देख सकता है।

5. संबद्ध संस्थाएँ अपने खाते से कौनदृकौन से कार्य कर सकती हैं?

उत्तर :— हर संबद्ध संस्था को बोर्ड द्वारा एक विशेष पहचान क्रमांक और प्रवेश खाता प्रदान किया जाता है। संस्था अपने खाते से विद्यार्थियों का नामांकन कर सकती है, उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट भेज सकती है, परीक्षा आवेदन की स्थिति देख सकती है तथा बोर्ड के साथ पत्राचार कर सकती है। यह खाता संस्था और बोर्ड के बीच का आधिकारिक संपर्क माध्यम होता है।

6. ऑनलाइन प्रणाली की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

उत्तर :— केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की ऑनलाइन प्रणाली बहुदृस्तरीय सुरक्षा से सुसज्जित है। सभी जानकारी को सुरक्षित सर्वर पर रखा जाता है और प्रत्येक प्रवेश के लिए सत्यापन की प्रक्रिया लागू की गई है। किसी भी प्रकार की अनधिकृत पहुँच, डेटा चोरी या दुरुपयोग की स्थिति में तुरंत जाँच और कार्रवाई की जाती है।

7. यदि विद्यार्थी अपना गुप्त शब्द भूल जाए तो क्या करना चाहिए?

उत्तर :— विद्यार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक डाक पते के माध्यम से नया गुप्त शब्द बना सकता है। इसके लिए "गुप्त शब्द भूल गए" विकल्प का उपयोग किया जाता है। यदि किसी कारणवश यह प्रक्रिया संभव न हो, तो विद्यार्थी बोर्ड के तकनीकी सहायता विभाग से संपर्क कर सकता है।

8. परीक्षा आवेदन ऑनलाइन कैसे किया जाता है?

उत्तर :— विद्यार्थी अपने खाते में प्रवेश कर "परीक्षा हेतु आवेदन" विकल्प चुनता है। इसमें विषयों का चयन, सत्र का निर्धारण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया होती है। आवेदन पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी को पावती प्राप्त होती है और बाद में प्रवेशदृपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

9. डिजिटल प्रवेश—पत्र कैसे जारी किए जाते हैं?

उत्तर :— परीक्षा शुल्क जमा होने और सभी विवरणों के सत्यापन के बाद बोर्ड द्वारा प्रवेशदृपत्र ऑनलाइन जारी किया जाता है। प्रवेशदृपत्र में विद्यार्थी का चित्र, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र और तिथि अंकित होती है। इसे विद्यार्थी अपने खाते से डाउनलोड कर सकता है।

10. विद्यार्थी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन कैसे प्राप्त करता है?

उत्तर :— प्रत्येक विद्यार्थी को अपने खाते में "अध्ययन सामग्री" विकल्प के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास प्रश्न, वीडियो व्याख्यान और मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाती है। यह सामग्री निःशुल्क होती है और किसी भी समय डाउनलोड की जा सकती है।

11. क्या विद्यार्थी अंकपत्र और प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर :— हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपने खाते से अंकपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र और प्रव्रजन प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक प्रमाणपत्र पर सत्यापन क्रमांक अंकित होता है जिससे उसकी सत्यता जाँची जा सकती है।

12. संबद्ध संस्थाएँ विद्यार्थियों का अभिलेख बोर्ड को कैसे भेजती हैं?

उत्तर :— संस्थाएँ अपने खाते में उपलब्ध "डेटा अपलोड" प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों का विवरण, उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन अंक भेजती हैं। बोर्ड द्वारा यह जानकारी जाँच के बाद स्वीकृत की जाती है।

13. प्रवेश संकलन केन्द्रों को कौनदृकौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं?

उत्तर :– प्रवेश संकलन केन्द्रों को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं। वे विद्यार्थियों से आवेदन लेकर उसे प्रणाली में दर्ज करते हैं, दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करते हैं और शुल्क जमा करने में सहायता करते हैं। उन्हें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आँकड़े सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जाती है।

14. विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्र की सत्यता ऑनलाइन कैसे जाँच सकता है?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड ने प्रमाणपत्र सत्यापन प्रणाली विकसित की है, जिसमें प्रमाणपत्र का क्रमांक डालकर उसकी प्रामाणिकता देखी जा सकती है। कोई भी संस्था, कार्यालय या विद्यार्थी यह सत्यापन कर सकता है।

15. शिकायत निवारण प्रणाली क्या है और कैसे काम करती है?

उत्तर :– बोर्ड की शिकायत निवारण प्रणाली विद्यार्थियों और संस्थाओं को अपनी समस्या दर्ज कराने का अवसर देती है। प्रत्येक शिकायत को एक संदर्भ क्रमांक दिया जाता है, जिससे उसकी स्थिति देखी जा सकती है। संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्रदान करता है।

16. क्या सरकारी या निजी संस्थान प्रमाणपत्र की जाँच ऑनलाइन कर सकते हैं?

उत्तर :– हाँ। सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय या निजी नियोक्ता बोर्ड की डिजिटल सत्यापन प्रणाली से प्रमाणपत्र की जाँच कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र क्रमांक या पंजीकरण क्रमांक दर्ज करना होता है। सत्यापन रिपोर्ट स्वतः प्रदर्शित होती है।

17. अधिसूचनाएँ और परिपत्र किस प्रकार जारी किए जाते हैं?

उत्तर :– केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सभी अधिसूचनाएँ, समय सारिणी और नीति आदेश केवल अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। प्रत्येक आदेश पर क्रमांक और निर्गमन तिथि अंकित होती है। अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को मान्य नहीं माना जाता।

18. क्या बोर्ड अध्यापक और संस्था–कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी कराता है?

उत्तर :– हाँ। बोर्ड समय–समय पर शिक्षकों, परीक्षकों और प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करता है। इन प्रशिक्षणों में शैक्षणिक गुणवत्ता, डिजिटल प्रबंधन और नवीन नीतियों की जानकारी दी जाती है। सफल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

19. बोर्ड विद्यार्थियों और संस्थाओं के आँकड़ों की गोपनीयता कैसे बनाए रखता है?

उत्तर :— केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और गोपनीयता नियमों का पालन करता है। सभी व्यक्तिगत और संस्थागत आँकड़े एन्क्रिप्ट प्रणाली में सुरक्षित रखे जाते हैं। बिना अनुमति किसी भी तृतीय पक्ष को जानकारी नहीं दी जाती।

20. यदि प्रणाली में कोई तकनीकी त्रुटि हो तो क्या करना चाहिए?

उत्तर :—यदि किसी विद्यार्थी या संस्था को ऑनलाइन प्रणाली में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसे बोर्ड के तकनीकी सहयोग अनुभाग में रिपोर्ट करना चाहिए। शिकायत दर्ज होते ही उसका क्रमांक प्राप्त होता है और समस्या का समाधान निर्धारित समय में किया जाता है।

<u>अध्याय-9</u>

<u>मान्यता और समकक्षता</u>

1. मान्यता और समकक्षता का क्या अर्थ है?

उत्तर :—मान्यता का अर्थ है किसी प्रमाणपत्र या संस्था को सरकारी अथवा शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना। समकक्षता का अर्थ है किसी शैक्षणिक स्तर या प्रमाणपत्र को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के बराबर माना जाना। इस प्रकार मान्यता और समकक्षता यह सुनिश्चित करती हैं कि केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के विद्यार्थी अन्य बोर्डों के विद्यार्थियों की तरह उच्च शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्राप्त करें।

2. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड विधिक रूप से स्थापित है?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक विधिवत गठित स्वायत्त शैक्षणिक निकाय है, जो अपने पंजीकृत उपविधानों और नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। यह बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 की भावना के अनुरूप शिक्षार्थियों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है।

3. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र भारत में उच्च शिक्षा के लिए मान्य हैं?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्य हैं, बशर्ते कि विद्यार्थी संबंधित संस्था की प्रवेश शर्तें पूरी करे। बोर्ड का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों के अनुसार तैयार की गई है।

4. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र सरकारी सेवाओं में मान्य हैं?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोग योग्य हैं। विभिन्न भर्ती संस्थाएँ, आयोग और विभाग इस बोर्ड के प्रमाणपत्रों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बोर्ड का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय स्तर का है और यह अन्य शैक्षणिक बोर्डों के समान मानक रखता है।

5. समकक्षता कैसे निर्धारित की जाती है?

उत्तर :—समकक्षता का निर्धारण पाठ्यक्रम की विषयदृसंरचना, अध्ययन—अवधि, परीक्षा—प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति की तुलना से किया जाता है। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार निर्मित है कि यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य बोर्डों और अन्य राष्ट्रीय बोर्डों के समान स्तर पर हो।

6. क्या विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड को मान्यता प्राप्त है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय संघ से संपर्क बनाए रखता है ताकि इसके पाठ्यक्रमों को औपचारिक समकक्षता प्राप्त हो सके। जब बोर्ड के पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति और दस्तावेजों की समीक्षा पूरी हो जाती है, तो विश्वविद्यालय संघ द्वारा समानता प्रमाणित की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को देशदृ विदेश में उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है।

7. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र विदेशों में भी मान्य हैं?

उत्तर :—हाँ। अनेक देशों के शैक्षणिक संस्थान भारतीय खुले विद्यालयी प्रणालियों को मान्यता देते हैं। तथापि विदेश में प्रवेश या रोजगार हेतु आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी को संबंधित देश के शिक्षा विभाग या भारतीय दूतावास से समकक्षता की पुष्टि करानी चाहिए।

8. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड राष्ट्रीय मानकों का पालन कैसे करता है?

उत्तर :—यह बोर्ड अपने सभी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अनुरूप संचालित करता है। समयदृसमय पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की समिति द्वारा की जाती है।

9. क्या बोर्ड के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त है?

उत्तर :—हाँ। बोर्ड द्वारा संचालित व्यावसायिक और कौशल—आधारित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के दिशादृनिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को कार्यकुशल बनाना और रोजगार योग्य बनाना है।

10. विद्यार्थी समकक्षता प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता है?

उत्तर :—जिस विद्यार्थी को किसी विश्वविद्यालय या संस्था में प्रवेश के लिए समकक्षता प्रमाणपत्र चाहिए, वह विश्वविद्यालय संघ या संबंधित विश्वविद्यालय को आवेदन दे सकता है। आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र और अंकपत्र की प्रतिलिपि लगानी आवश्यक होती है।

11. क्या अन्य बोर्डों से पढ़े विद्यार्थी केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड में प्रवेश ले सकते हैं?

उत्तर :—हाँ। अन्य बोर्डों से पढ़े विद्यार्थी भी इस बोर्ड में स्थानांतरण लेकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने पूर्व अध्ययन के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी इस बोर्ड से अन्य बोर्ड में जाना चाहे, तो उसे प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिया जाता है।

12. खुले विद्यालयों की मान्यता का आधार क्या है?

उत्तर :— खुले विद्यालय प्रणाली को भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संरक्षण प्राप्त है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड जैसी संस्थाएँ विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

13. क्या बोर्ड के प्रमाणपत्र राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार में दर्ज होते हैं?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड अपने सभी प्रमाणपत्रों को राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार से जोड़ने की प्रक्रिया में है, जिससे विद्यार्थी और संस्थाएँ किसी भी समय प्रमाणपत्र की सत्यता की जाँच कर सकें।

14. क्या विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होती है?

उत्तर :—अधिकांश विश्वविद्यालय बोर्ड के प्रमाणपत्र सीधे स्वीकार करते हैं। यदि कोई संस्था अतिरिक्त सत्यापन चाहती है, तो वह बोर्ड के परीक्षा विभाग से प्रमाणित प्रति या लिखित पुष्टि प्राप्त कर सकती है।

15. क्या बोर्ड के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के विद्यार्थी सभी राज्य और केंद्र स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरे करें।

16. क्या बोर्ड अपने विद्यार्थियों को मान्यता–पुष्टिकरण पत्र जारी करता है?

उत्तर :—हाँ। विद्यार्थी की मांग पर बोर्ड "मान्यता और समकक्षता प्रमाण पत्र" जारी कर सकता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के प्रमाणपत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

17. बोर्ड अपने प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता कैसे बनाए रखता है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड अपने सभी प्रमाणपत्रों को विशिष्ट क्रमांक और सत्यापन प्रणाली से जोड़ता है। बोर्ड समय–समय पर परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम प्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराता है ताकि प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता बनी रहे।

18. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान में क्या अंतर है?

उत्तर :—राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान एक सरकारी निकाय है जबकि केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जो समान शैक्षणिक उद्देश्य के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दोनों का लक्ष्य समान है – सभी वर्गों के लोगों तक शिक्षा पहुँचाना।

19. क्या केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र विदेश मंत्रालय से सत्यापित कराए जा सकते हैं?

उत्तर :—हाँ। विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्रों को विदेश मंत्रालय से सत्यापित करवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले बोर्ड से प्रमाणपत्र की पुष्टि करवानी होती है। यह सत्यापन विदेश में शिक्षा या रोजगार हेतु आवश्यक होता है।

20. बोर्ड अपनी मान्यता और समकक्षता की जानकारी जनता को कैसे देता है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड अपनी मान्यता, समकक्षता और सहयोग संबंधी सभी आदेश अपनी वेबसाइट और अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित करता है। इससे विद्यार्थी, नियोक्ता और संस्थाएँ बोर्ड की वैधानिक स्थिति से अवगत रह सकें।तममिते

अध्याय-10

शिकायतें और निवारण प्रणाली

1. शिकायत निवारण क्या है

उत्तर :—शिकायत निवारण का अर्थ है किसी विद्यार्थी, संस्था या संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत का निष्पक्ष परीक्षण करना और उसका समाधान करना। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड ने प्रत्येक प्रकार की शिकायत के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की है ताकि हर व्यक्ति को न्याय और उचित उत्तर मिल सके।

2. शिकायत निवारण का उद्देश्य

उत्तर :—बोर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और संबद्ध संस्थाओं की समस्याएँ समय पर और पारदर्शी ढंग से हल हों। यह प्रणाली निष्पक्षता, गोपनीयता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है।

3. शिकायत कौन कर सकता है

उत्तर :—किसी भी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक या संबद्ध संस्था को यदि बोर्ड से संबंधित किसी कार्य, परिणाम, परीक्षा या प्रशासनिक विषय पर आपत्ति या समस्या हो तो वह शिकायत कर सकता है।

4. शिकायत करने की विधि

उत्तर :—शिकायत करने वाला व्यक्ति बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत प्रपत्र भर सकता है या लिखित आवेदन के रूप में बोर्ड के शिकायत विभाग को भेज सकता है। आवेदन के साथ प्रमाण और पूरा विवरण देना आवश्यक है। शिकायत पंजीकृत होते ही उसे एक क्रमांक दिया जाता है।

5. शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही

उत्तर :—शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर शिकायत निवारण समिति उस पर विचार करती है। समिति तथ्यों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करती है।

6. शिकायत निवारण समिति की संरचना

उत्तर :—समिति में एक अध्यक्ष, एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक विधिक सलाहकार होते हैं। सचिव इस समिति का सदस्य सचिव होता है। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

7. शिकायत निवारण की समय सीमा

उत्तर :—सामान्य रूप से प्रत्येक शिकायत तीस कार्य दिवसों के भीतर सुलझा दी जाती है। यदि मामला जटिल हो तो अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है।

8. समाधान के प्रकार

उत्तर :—समिति के निर्णय के अनुसार परिणाम संशोधन, प्रमाणपत्र पुनः जारी करना, शुल्क वापसी, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है।

9. निराधार शिकायतों पर क्या होता है

उत्तर :—यदि कोई शिकायत असत्य, अपूर्ण या दुर्भावना से प्रेरित पाई जाती है, तो समिति उसे अस्वीकार कर सकती है। अस्वीकृति का कारण लिखित रूप में शिकायतकर्ता को बताया जाता है।

10. शिकायत निवारण अधिकारी की भूमिका

उत्तर :—यह अधिकारी शिकायतों की प्राप्ति, पंजीकरण, रिपोर्ट प्राप्त करने और समिति तक पहुँचाने का कार्य करता है। वह सुनिश्चित करता है कि हर शिकायत का निपटारा तय समय में हो।

11. अपील का अधिकार

उत्तर :—यदि शिकायतकर्ता समिति के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।

12. परीक्षा में अनुचित आचरण संबंधी शिकायतें

उत्तर :—यदि किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या अनुशासन भंग की शिकायत आती है, तो उसे परीक्षा अनुचित आचरण समिति को भेजा जाता है। समिति सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर परिणाम रद्द कर सकती है।

13. संस्थाओं की शिकायतें

उत्तर :—संबद्ध संस्थाएँ अपनी शिकायतें पहले संबद्धता अनुभाग को भेजती हैं। यदि वहाँ समाधान न मिले तो प्रकरण शिकायत निवारण समिति को भेजा जाता है, जो दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करती है।

14. कर्मचारियों की शिकायतें

उत्तर :—बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा या पदोन्नति से जुड़ी शिकायतें मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सुनी जाती हैं। यह प्रकोष्ठ स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

15. महिला सुरक्षा एवं समानता समिति

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक समिति बनाई है, जो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों की जाँच करती है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करती है।

16. शिकायतों की पारदर्शिता

उत्तर :—हर शिकायत डिजिटल अभिलेख में सुरक्षित रखी जाती है। समिति द्वारा किए गए कार्य और निर्णय बोर्ड के वार्षिक अभिलेख में दर्ज होते हैं। बोर्ड समयदृसमय पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

17. गोपनीयता की व्यवस्था

उत्तर :—शिकायत से संबंधित जानकारी केवल संबंधित पक्षों को ही बताई जाती है। जानकारी का खुलासा करना अनुशासनहीनता माना जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है।

18. बाहरी विशेषज्ञों की सहायता

उत्तर :—यदि किसी शिकायत का स्वरूप तकनीकी या विधिक हो, तो बोर्ड स्वतंत्र विशेषज्ञों या सलाहकारों की सहायता ले सकता है ताकि निर्णय सही और न्यायसंगत हो।

19. अनुशासन भंग के मामलों में कार्यवाही

उत्तर :—यदि कोई संस्था या कर्मचारी बारदृबार नियमों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड उसकी संबद्धता समाप्त कर सकता है या सेवा से निलंबित कर सकता है। निर्णय प्रमाणों और जांच रिपोर्ट पर आधारित होता है।

20. शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य

उत्तर :—इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर विद्यार्थी, संस्था और कर्मचारी को अपनी बात कहने का अवसर मिले, उसकी शिकायत सुनी जाए और निष्पक्ष समाधान दिया जाए। यह व्यवस्था केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की पारदर्शी, जिम्मेदार और न्यायपूर्ण कार्यप्रणाली की पहचान है।

अध्याय-11

विविध प्रावधान

1. "विविध प्रावधान" का क्या अर्थ है?

उत्तर :—विविध प्रावधान उन शेष धाराओं और प्रक्रियात्मक नियमों को दर्शाते हैं जो पूर्ववर्ती अध्यायों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों या नियमों की व्याख्या में उत्पन्न अस्पष्टता की स्थिति में केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड विधिसंगत, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर सके।

2. पत्राचार और संवाद की अधिकृत भाषा क्या है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड में पत्राचार और संवाद की अधिकृत भाषा अंग्रेजी होगी। भारत के भीतर होने वाले सभी प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का समान रूप से उपयोग किया जा सकेगा। यदि किसी दस्तावेज के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में कोई विरोध या अस्पष्टता हो, तो अंग्रेजी संस्करण को मान्य माना जाएगा।

3. केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड का विधिक अधिकार क्षेत्र कहाँ स्थित है?

उत्तर :—बोर्ड के कार्यों से संबंधित सभी वाद, विवाद या मुकदमे उस स्थान के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होंगे जहाँ बोर्ड का पंजीकृत प्रधान कार्यालय स्थित है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

4. बोर्ड अपने अभिलेखों और दस्तावेजों का संरक्षण कैसे करता है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड अपने सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय अभिलेखों को भौतिक तथा डिजिटल दोनों रूपों में सुरक्षित रखता है। स्थायी महत्व वाले अभिलेखों को अभिलेख अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखों की पहुँच और उपयोग बोर्ड की अभिलेख संरक्षण नीति के अनुसार नियंत्रित रहती है।

5. क्या बोर्ड के नियमों में संशोधन किया जा सकता है?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की शासी निकाय दो–तिहाई बहुमत से किसी भी उपविधि या प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है, बशर्ते सभी सदस्यों को पूर्व सूचना दी गई हो। संशोधित नियम स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होते हैं, जब तक कि किसी विशेष तिथि का उल्लेख न किया गया हो।

6. यदि नियमों की व्याख्या को लेकर विवाद उत्पन्न हो तो क्या किया जाता है?

उत्तर :—यदि किसी नियम की व्याख्या को लेकर संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। अध्यक्ष का निर्णय, विधिवत दर्ज और अधिसूचित होने पर, अंतिम माना जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष विधिक या प्रशासनिक सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं।

7. क्या बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देता है?

उत्तर :—हाँ। **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। क्यूआर संहिता या ब्लॉक–शृंखला द्वारा सत्यापित डिजिटल प्रमाणपत्र भौतिक प्रमाणपत्रों के समान प्रभाव रखते हैं।

8. आधिकारिक आदेश और अधिसूचनाएँ कैसे जारी की जाती हैं?

उत्तर :—**केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** के सभी आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएँ केवल सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर या डिजिटल अनुमोदन से जारी की जाती हैं। इन्हें बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है तथा प्रत्येक अधिसूचना को क्रमांक और निर्गमन तिथि दी जाती है।

9. आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बोर्ड क्या कदम उठाता है?

उत्तर :—युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी असामान्य स्थिति में, जब नियमित कार्य बाधित हो, तो बोर्ड विशेष आदेश द्वारा परीक्षाओं, प्रवेश प्रक्रियाओं या अन्य गतिविधियों को स्थगित, परिवर्तित या पुनर्निर्धारित कर सकता है। ऐसे सभी निर्णय बाद में शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और वैध माने जाते हैं।

10. संबद्ध संस्थाओं और कर्मचारियों के नैतिक दायित्व क्या हैं?

उत्तर :—सभी संबद्ध संस्थाएँ, शिक्षक और अधिकारी केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की आचार संहिता के अंतर्गत कार्य करेंगे। उन्हें ईमानदारी, निष्पक्षता और गोपनीयता का पालन करना होगा। नैतिकता का उल्लंघन पाए जाने पर संस्था की संबद्धता निलंबित की जा सकती है या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक या विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

11. बोर्ड अपने हितधारकों की गोपनीय जानकारी की रक्षा कैसे करता है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सभी विद्यार्थियों, संस्थाओं और कर्मचारियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखता है। यह जानकारी केवल शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होती है।

अनधिकृत खुलासा या दुरुपयोग को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाता है और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

12. क्या बोर्ड विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकता है?

उत्तर :—हाँ। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड शासी निकाय की स्वीकृति से विदेशी संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोग, प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता या विनिमय कार्यक्रम चला सकता है, बशर्ते कि यह सहयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अनुरूप हो।

13. क्या बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप सकता है?

उत्तर :—हाँ। बोर्ड आवश्यकतानुसार अपने कुछ प्रशासनिक या शैक्षणिक अधिकारों को औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से क्षेत्रीय या राज्य कार्यालयों को सौंप सकता है। ये कार्यालय केवल सौंपे गए अधिकारों के दायरे में कार्य करेंगे और अपने कार्यों के लिए मुख्यालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

14. बोर्ड की अधिकृत मोहर क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड की अधिकृत मोहर सचिव के अभिरक्षण में रखी जाती है। यह मोहर केवल प्रमाणपत्रों, विधिक दस्तावेजों और आधिकारिक संकल्पों पर ही लगाई जाती है। बिना अनुमति इसका प्रयोग दंडनीय अपराध माना जाता है।

15. शासी निकाय और समितियों की बैठकें कैसे संचालित होती हैं?

उत्तर :—बोर्ड की शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद तथा अन्य समितियों की बैठकें निर्धारित स्थायी आदेशों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक बैठक में आवश्यक उपस्थिति अनिवार्य होती है। लिए गए सभी निर्णयों को कार्यवृत्त में दर्ज कर अध्यक्ष और सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

16. क्या सदस्यों या अधिकारियों को सद्‌भावना से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्राप्त है?

उत्तर :—हाँ। बोर्ड का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्‌भावना से किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। बोर्ड उन्हें सभी विधिक दावों से संरक्षित रखेगा जब तक कि उनके विरुद्ध दुर्भावना, धोखाधड़ी या गंभीर लापरवाही सिद्ध न हो।

17. सहयोग और समझौते कैसे किए जाते हैं?

उत्तर :—केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों या निजी निकायों के साथ लिखित समझौते या सहयोग कर सकता है। इन समझौतों में उद्देश्य, अवधि और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं। प्रत्येक समझौता शासी निकाय की स्वीकृति और अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर से प्रभावी होता है।

18. मीडिया और जनसंपर्क से संबंधित नीति क्या है?

उत्तर :—बोर्ड से संबंधित कोई भी आधिकारिक वक्तव्य केवल अध्यक्ष द्वारा नामित प्रवक्ता के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। बिना अनुमति मीडिया या सामाजिक माध्यमों पर जानकारी साझा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और उसके लिए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

19. पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति बोर्ड की नीति क्या है?

उत्तर :—**केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा–संचयन और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है। बोर्ड सभी संबद्ध संस्थाओं को पर्यावरण–अनुकूल परिसर बनाए रखने, वृक्षारोपण, स्वच्छता और सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करता है।

20. उन विषयों का निर्णय कौन करेगा जिनका उल्लेख इन प्रावधानों में नहीं है?

उत्तर :—जो विषय इन नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं, उन पर निर्णय **केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड** के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय से परामर्श के बाद लिया जाएगा। यह निर्णय अभिलेख में दर्ज किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में नियमों में सम्मिलित किया जाएगा।

और अधिक जानें

केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सभी विद्यार्थियों, संस्थानों और हितधारकों को सटीक, विश्वसनीय तथा शिक्षार्थी–केन्द्रित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों, संबद्ध संस्थानों तथा आम नागरिकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

यह पुस्तिका उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रकाशित की गई है और जैसे–जैसे बोर्ड द्वारा नई अधिसूचनाएँ, परिपत्र या नीतिगत परिवर्तन जारी किए जाएंगे, इसे समय–समय पर संशोधित अथवा विस्तारित किया जा सकेगा। सभी हितधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस पुस्तिका से परे किसी भी विषय पर सुझाव, सुधार या स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अपने विचार प्रेषित करें।

शैक्षणिक, परीक्षा या प्रशासनिक विषयों से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी अथवा प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था निर्धारित सूचना अनुरोध प्रपत्र भरकर निम्न पते पर भेज सकती है:–

व्यक्ति का नामः	
पताः	
मांगी गई जानकारीः	